रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222120
CG-DL-E-30092020-222120

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2020/ आश्विन 6, 1942
No. 479] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 24020/ ASVINA 6, 1942

श्रम और रोज़गार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 588(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (समूह'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियमावली,1989 को, जहां तक इसका संबंध निदेशक(सुरक्षा), उप निदेशक(सुरक्षा), सहायक निदेशक (सुरक्षा) और अतिरिक्त सहायक निदेशक(सुरक्षा) के पदों से है या उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऐसे श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अधीन कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय में निदेशक(सुरक्षा), उप निदेशक(सुरक्षा), सहायक निदेशक (सुरक्षा) और अतिरिक्त सहायक निदेशक(सुरक्षा) के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (समूह 'क' और समूह 'ख'- सुरक्षा विधा विशेष पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर** :- पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि** :- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होगी जो उक्त/ पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1.	2.	3.	4.	5.	6.
निदेशक(सुरक्षा)	11*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मेट्रिक्स मे स्तर 12 (78,800 – 2,09,200 रुपए)।	चयन।	50 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्षों तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित किया जाए ।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं ।	क्या पदोन्नत कर्मचारियों के लिए आयु और अर्हता की वही शर्तें लागू होंगी जो सीधी भर्ती के लिए हैं
7.	8.
अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मॅकेनिकल या विद्युत या रसायन या मरीन या उत्पादन या औद्योगकीय या इन्स्ट्रुमेन्टेशन या सिविल इंजीनियरिंग या वास्तुकला या टेक्सटाइल रसायन या टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी या	आयु सीमा – नहीं । शैक्षणिक अर्हता -हां ।

कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रानिक एंड कंम्यूनिकेशन में स्नातक की उपाधि (ii) कारखाना अधिनियम 1948(1948 का 63) या डॉक कर्मकार (सुरक्षा,स्वास्थ्य और कल्याण)अधिनियम 1986(1986 का 54) या भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 का 27) के प्रवर्तन से संबंधित किसी सरकारी विभाग, औद्योगिक संगठन या अनुसंधान प्रयोगशाला या तकनीकी संस्थान या संगठन में टेकस्टाइल के भौतिक और रासायनिक परीक्षण या कारखाना, डॉक, पोत, निर्माण स्थल पर औद्योगिक सुरक्षा के विभिन्न् कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव **वांछनीय :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता से संबंधित इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से औद्योगिक सुरक्षा में परा स्नातक या मास्टर डिग्री (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से औद्योगिक सुरक्षा में परा स्नातक डिप्लोमा (iv) औद्योगिक सुरक्षा, डॉक सुरक्षा और निर्माण सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण क्रिया कलापों के नियोजन, आयोजन और संचालन में अनुभव **टिप्पण 1 –** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 – अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	

परीवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**
9	**10**	**11**
सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष जो विभाग द्वारा निर्धारित 2 सप्ताह के आरंभिक प्रशिक्षण को पूरा करने के अधीन है	1. 50% प्रोन्नति द्वारा और इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा 2. 50% प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा और इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति** उप निदेशक (सु) वेतन मेट्रिक्स में स्तर 11(67,700 - 2,08,700 रुपए) में 5 वर्ष के नियमित सेवा कर चुके हों और जिनको व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया हो । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ

		व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी जो (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपए) या इसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और (ख) स्तंभ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता हों। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रति नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है
12	13
1. समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे – i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष ii) अपर सचिव या संयुक्त सचिव या निदेशक, श्रम और रोज़गार मंत्रालय – सदस्य iii) महानिदेशक या उप महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय – सदस्य 2. समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे – i) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, श्रम और रोज़गार मंत्रालय – अध्यक्ष ii) निदेशक, श्रम और रोज़गार मंत्रालय – सदस्य iii) महानिदेशक या उप महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय – सदस्य	सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या गैर चयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1.	2.	3.	4.	5.	6.
उप निदेशक(सुरक्षा)	11*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मेट्रिक्स मे स्तर 11 (67700 – 2,08,700रुपए)	चयन।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या पदोन्नत कर्मचारियों के लिए आयु और अर्हता की वही शर्तें लागू होंगी जो सीधी भर्ती के लिए हैं
7.	8.
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परीवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
9	10	11
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा और इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा	**प्रोन्नति** सहायक निदेशक (सुरक्षा) स्तर 10 (56,100 – 1,77,500 रुपए) में 5 वर्ष के नियमित सेवा कर चुके हों और जिनको व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त हो । **टिप्पणी -** जहां ऐसे कनिष्ठ आवेदकों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी अर्हत सेवा पूरी कर ली है, ऐसी स्थिति में उनसे वरिष्ठ के मामले पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते की उनकी अपेक्षित

		अर्हत सेवा की अवधि ऐसी अर्हत सेवा की अवधि के आधे या दो वर्षों जो भी कम न हो, से कम हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हत सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयो या अनुसंधान संस्थानो के ऐसे अधिकारी जो (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर 10 (56,100 – 1,77,500 रुपए) या इसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों। **अनिवार्य** : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मॅकेनिकल या विद्युत या रसायन या मरीन या उत्पादन या औद्योगीक या इन्स्ट्रुमेन्टेशन या सिविल इंजीनियरिंग या वास्तुकला या टेक्सटाइल रसायन या टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रानिक एंड कंम्यूनिकेशन में स्नातक की उपाधि । (ii) कारखाना अधिनियम 1948(1948 का 63) या डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण)अधिनियम 1986(1986 का 54) या भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 का 27) के प्रवर्तन से संबंधित किसी सरकारी विभाग, औद्योगिक संगठन या अनुसंधान प्रयोगशाला या तकनीकी संस्थान या संगठन में टेकस्टाइल के भौतिक और रासायनिक परीक्षण या कारखाना, डॉक, पोत, निर्माण स्थल पर औद्योगिक सुरक्षा के विभिन्न् कार्यों में 5 वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता से संबंधित इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से औद्योगिक सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से औद्योगिक सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (iv) औद्योगिक सुरक्षा, डॉक सुरक्षा और निर्माण सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण क्रियाकलापों के नियोजन, आयोजन और संचालन में अनुभव **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रति नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थतियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
12	13
समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :— 1. सचिव, श्रम और रोज़गार मंत्रालय – अध्यक्ष 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव या निदेशक, श्रम और रोज़गार मंत्रालय – सदस्य 3. महानिदेश या उप महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान – सदस्य	प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है ।

पदनाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मेट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
सहायक निदेशक(सुरक्षा)	27*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मेट्रिक्स मे स्तर 10 (56,100–1,77,500 रुपए)	चयन।	35 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्षों तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही ।**
7.	**8.**
अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मॅकेनिकल या विद्युत या रसायन या मरीन या उत्पादन या औद्योगकीय या इन्स्ट्रुमेन्टेशन या सिविल इंजीनियरिंग या वास्तुकला या टेक्सटाइल रसायन या टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रानिक एंड कंम्यूनिकेशन में स्नातक की उपाधि ii) कारखाना अधिनियम 1948(1948 का 63) या डॉक कर्मकार (सुरक्षा,स्वास्थ्य और कल्याण)अधिनियम 1986(1986 का 54) या भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 का 27) के प्रवर्तन से संबंधित किसी सरकारी विभाग, औद्योगिक संगठन या अनुसंधान प्रयोगशाला या तकनीकी संस्थान या संगठन में टेकस्टाइल के भौतिक और रासायनिक परीक्षण या कारखाना, डॉक, पोत, निर्माण स्थल पर औद्योगिक सुरक्षा के विभिन्न् कार्यों में 3 वर्ष का अनुभव	आयु सीमा – नहीं शैक्षणिक अर्हता – नहीं, किंतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम से कम मॅकेनिकल / रसायन /विद्युत /सिविल/ मरीन अभियांत्रिकी/ वास्तुकला/ टेक्सटाइल रसायन / टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा रखता हो ।

वांछनीय : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता से संबंधित इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से औद्योगिक सुरक्षा में परा स्नातक या मास्टर डिग्री (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से औद्योगिक सुरक्षा में परा स्नातक डिप्लोमा (iv) औद्योगिक सुरक्षा, डॉक सुरक्षा और निर्माण सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण क्रिया कलापों के नियोजन, आयोजन और संचालन में अनुभव **टिप्पण 1 –** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2 –** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	

परीवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**
9	10	11
सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित 2 सप्ताह के आरंभिक प्रशिक्षण को पूरा करने के अधीन है	1. 25% पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा 2. 75% सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति** अतिरिक्त सहायक निदेशक (सुरक्षा) स्तर 7(44,900- 1,42,400 रुपए) में 3 वर्ष के नियमित सेवा कर चुके हों और जिनको व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

		प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी जो (क)(i)मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर 9/8 या इसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और (ख) स्तंभ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता हों। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रति नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थतियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
12	13
1. समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे – (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (ii) अपर सचिव या संयुक्त सचिव या निदेशक, श्रम और रोज़गार मंत्रालय – सदस्य (iii) महानिदेशक या उप महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान – सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है

2. समूह क विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे – (i) संयुक्त सचिव या निदेशक, श्रम और रोज़गार मंत्रालय – अध्यक्ष (ii) उप सचिव, श्रम और रोज़गार मंत्रालय – सदस्य (iii) महानिदेश या उप महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान – सदस्य	

पदनाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मेट्रिक्स में स्तर**	**चयन या गैर चयन पद**	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
अतिरिक्त सहायक निदेशक (सुरक्षा)	17*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स का स्तर 7 (44,900 – 1,42,400 रुपए)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्षों तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2:** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही ।**
7.	**8.**
आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल या विद्युत या रसायन या मरीन या उत्पादन या औद्योगकीय या इन्स्ट्रुमेन्टेशन या सिविल इंजीनियरिंग या वास्तुकला या टेक्सटाइल/टेक्सटाइल रसायन/टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रानिक्स एंड कंम्यूनिकेशन में स्नातक की उपाधि (ii) कारखाना अधिनियम 1948(1948 का 63) या डॉक कर्मकार (सुरक्षा,स्वास्थ्य और कल्याण)अधिनियम 1986(1986 का 54) या भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 का 27) के प्रवर्तन से संबंधित किसी सरकारी विभाग, औद्योगिक संगठन या अनुसंधान प्रयोगशाला या तकनीकी संस्थान या संगठन में टेकस्टाइल के भौतिक और रासायनिक परीक्षण या कारखाना, डॉक, पोत, निर्माण स्थल पर औद्योगिक सुरक्षा के विभिन्न् कार्यों में 1 वर्ष का अनुभव **वांछनीय :** औद्योगिक सुरक्षा, निर्माण सुरक्षा और डॉक सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण क्रिया कलापों के नियोजन, आयोजन और संचालन का अनुभव	लागू नहीं होता ।

टिप्पण 1 – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2 –** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	

परीवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**
9	10	11
सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष जो विभाग द्वारा निर्धारित 2 सप्ताह के आरंभिक प्रशिक्षण को पूरा करने के अधीन है ।	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण -** यदि कोई पदधारक प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति मे एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए उपस्थित नहीं है तो ऐसे रिक्त पदों पर केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर भरे जा सकते हैं जो, (क)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सादृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर 6 (35,400- 1,12,400 रुपए) या इसके समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों (ख) स्तंभ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव प्राप्त कर चुके हों। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
विभागीय पुष्टी समिति (पुष्टी के सम्बन्ध मे विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे – 1. महानिदेशक या उप महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान – अध्यक्ष 2. निदेशक (सुरक्षा) कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान – सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, श्रम और रोज़गार मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है

[फा. सं. ए-12018/01/2015.आई एस एच.I (भाग III)]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2020

G.S.R. 588(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the posts of Director (Safety), Deputy Director (Safety), Assistant Director (Safety) and Additional Assistant Director (Safety) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director (Safety), Deputy Director (Safety) , Assistant Director (Safety) and Additional Assistant Director (Safety) in the Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes under the Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes (Group 'A' and Group 'B'–Safety Discipline Posts) Recruitment Rules, 2020.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**-The number of the said posts, their classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc..-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

 (i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

 (ii) who, having a spouse, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts;

 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other

Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	**Number of posts**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether Selection post or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**
1	2	3	4	5	6
Director (Safety)	11* (2019). *-Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level -12 in the pay matrix (Rs. 78,800-2,09,200)	Selection	Not exceeding 50 years. **Note:-** 1 Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government **Note:-** 2 The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**
7	8
Essential: (i) Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical or Chemical or Marine or Production or Industrial or Instrumentation or Civil Engineering or Architecture or Textile Chemistry or Textile Technology or computer science or Electronics & communication of a recognized University or Institute. (ii) Ten years' experience in handling various aspects of industrial safety in a factory, dock, ship, construction site or physical and chemical testing of textiles in an industrial concern or research laboratory or a technical institution/ organisation or in a government department dealing with the administration of Factories Act 1948 (63 of 1948) or the Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act 1986 (54 of 1986) or the Building and other construction workers (regulation of employment conditions of services) Act 1996 (27 of 1996). **Desirable:** (i) Master Degree in Engineering or Technology relevant to essential qualification mentioned above from a recognized University/ Institute (ii) Master's Degree or Post Graduate in Industrial Safety from a recognized University or Institute. (iii) Post Graduate Diploma in Industrial Safety from a recognized University or Institute. (iv) Experience in planning, organising and coordinating of research, education and training activities pertaining to industrial safety, dock safety and construction safety. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**:- The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recording in	Age: No. Educational Qualification: Yes.

writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	

Period of probation, if any	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made**
9	10	11
Two years for direct recruits; subject to completion of two weeks induction training as prescribed by Department.	(i) 50 % by promotion failing which by Deputation (including short term contract.), (ii) 50 % by deputation (including short term contract) failing which by Direct Recruitment.	**Promotion: -** Deputy Director (Safety) in Level-11 (Rs.67,700 – 2,08,700) in the Pay Matrix with five years regular service in the grade and having completed two weeks of training in Occupational Safety and Health. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or autonomous or statutory organizations or Public Sector Undertakings or Recognised University or Recognised Research Institutions: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 11 (Rs.67,700 – 2,08,700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion **Note 2**: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of : (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman (ii) Additional Secretary or Joint Secretary or Director, Ministry of Labour and Employment - Member (iii) Director General or Deputy Director General, Factory Advice Service & Labour Institutes - Member 2**. Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of:-** (i) Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment - Chairman (ii) Director, Ministry of Labour and Employment - Member (iii) Director General or Deputy Director General, Factory Advice Service & Labour Institutes – Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making Direct Recruitment and appointing an officer on Deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Deputy Director (Safety)	11* (2019). *-Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level -11 in the pay matrix (Rs. 67,700-2,08,700)	Selection	N.A.	N.A	N.A.

(9)	(10)	(11)
N.A	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	**Promotion:** Assistant Director (Safety) in Level-10 (Rs. 54,100-1,77,500) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having completed two weeks of training in Occupational Safety and Health. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or autonomous or statutory organization or Public Sector Undertakings or recognised Universities or Recognised research Institutions: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** (i) Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical or Chemical or Marine or Production or Industrial or Instrumentation or Civil Engineering or Architecture or Textile Chemistry or Textile Technology or computer science or Electronics & communication of a recognized University or Institute. (ii) Five years' experience in handling various aspects of industrial safety in a factory, dock, ship, construction site or physical and chemical testing of textiles in an industrial concern or research laboratory or a technical institution/ organisation or in a government department dealing with the administration of Factories Act 1948 (63 of 1948) or the Dock Workers

		(Safety, Health & Welfare) Act 1986 (54 of 1986) or the Building and other construction workers (regulation of employment conditions of services) Act 1996 (27 of 1996). **Desirable:** (i) Master's Degree in Engineering or Technology relevant to essential qualification mentioned above from a recognized University or Institute (ii) Master's Degree or Post Graduate Degree in Industrial Safety from a recognized University or Institute. (iii) Post Graduate Diploma in Industrial Safety from a recognized University or Institute. (iv) Experience in planning, organising and coordinating of research, education and training activities pertaining to industrial safety, dock safety and construction safety. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :- (i) Secretary, Ministry of Labour and Employment - Chairman; (ii) Additional Secretary/ Joint Secretary/ Director, Ministry of Labour and Employment – Member; (iii) Director General/ Deputy Director General, Factory Advice Service & Labour Institutes - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on Deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Safety)	27* (2019). *-Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level -10 in the pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500)	Selection	Not Exceeding 35 years **Note**:- 1 Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government **Note:-** 2 The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

(7)	(8)
Essential: (i) Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical or Chemical or Marine or Production or Industrial or Instrumentation or Civil Engineering or Architecture or Textile Chemistry or Textile Technology or computer science or Electronics & communication of a recognized University or Institute. (ii) Three years' experience in handling various aspects of industrial safety in a factory, dock, ship, construction site or physical and chemical testing of textiles in an industrial concern or research laboratory or a technical institution or organisation or in a government department dealing with the administration of Factories Act 1948 (63 of 1948) or the Dock Workers (Safety, Health &	Age: No. Educational Qualification: No, But must posses atleast Diploma in Mechanical / Chemical / Electrical / Civil/Marine Engineering/ Architecture/Textile Chemistry / Textile Technology from a recognized University/Institute.

Welfare) Act 1986 (54 of 1986) or the Building and other construction workers (regulation of employment conditions of services) Act 1996 (27 of 1996). **Desirable:** (i) Master Degree in Engineering or Technology relevant to essential qualification mentioned above from a recognized University or Institute (ii) Master's Degree or Post Graduate in Industrial Safety from a recognized University or Institute. (iii) Post Graduate Diploma in Industrial Safety from a recognized University or Institute. (iv) Experience in planning, organising and coordinating of research, education and training activities pertaining to industrial safety, dock safety and construction safety. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:-** The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recording in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits and promotees subject to completion of two weeks induction training as prescribed by Department.	25 % by promotion failing which by Deputation (including short term contract.), 75% by Direct Recruitment.	**Promotion:** Additional Assistant Director (Safety) in Level-7 (Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix with three years regular service in the grade and having completed two weeks of training in Occupational Safety and Health. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or autonomous or statutory organization or Public Sector Undertakings or Recognised Universities or Recognised Research Institutions:

		(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in posts in Level 9/ Level 8 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
1. **Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of : -** (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; (ii) Additional Secretary or Joint Secretary or Director, Ministry of Labour and Employment – Member; (iii) Director General/ Deputy Director General, Factory Advice Service & Labour Institutes – Member. 2. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of:** (i) Joint Secretary or Director, Ministry of Labour and Employment - Chairman (ii) Deputy Secretary, Ministry of Labour and Employment - Member (iii) Director General/ Deputy Director General, Factory Advice Service & Labour Institutes – Member	Consultation with UPSC necessary on each occasion

1	2	3	4	5	6
Additional Assistant Director (Safety)	17* (2019). *-Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Level -7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)	N.A.	Not exceeding 30 years. **Note:-** 1 Relaxable for Government servants up to five years' in accordance with the instructions or

					orders issued by the Central Government **Note:-** 2 The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

7	8
Essential: (i) Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical or Chemical or Marine or Production or Industrial or Instrumentation or Civil Engineering or Architecture or Textile or Textile Chemistry or Textile Technology or computer science or Electronics & communication of a recognized University / Institute. (ii) One year experience in handling various aspects of industrial safety in a factory, dock, ship, construction site or physical and chemical testing of textiles in an industrial concern or research laboratory or a technical institution or organisation or in a government department dealing with the administration of Factories Act 1948 (63 of 1948) or the Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act 1986 (54 of 1986) or the Building and other construction workers (regulation of employment conditions of services) Act 1996 (27 of 1996). **Desirable:** Experience in planning, organising and coordinating of research, education and training activities pertaining to industrial safety, construction safety and dock safety. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:-** The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	NA

9	10	11
Two years; subject to completion of two weeks of induction training prescribed by Department.	By Direct Recruitment, **Note**: Vacancies caused by the incumbent being away on Deputation or Long illness or Study Leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on Deputation basis from officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/ department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not Applicable

12	13
Departmental Confirmation Committee consisting of: (i) Director General/ Deputy Director General, Factory Advice Service & Labour Institutes - Chairman (ii) Director (Safety), Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes - Member (iii) Director / Deputy Secretary, Ministry of Labour & Employment – Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No. A-12018/01/2015.ISH.I (Pt.III)]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.09.30 11:58:32 +05'30'